राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या – 239/2012/बीकानेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स यूनाईटेड फाउण्डेशन प्रा.लि.
बीकानेर — प्रत्यर्थी

2.अपील संख्या – 243/2012/बीकानेर

सहायक आयुक्त
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स यूनाईटेड फाउण्डेशन प्रा.लि.
बीकानेर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित:

श्री एन.एस.राठौड
उप राजकीय अभिभाषक — विभाग की ओर से
——— — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.03.2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर(जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के अपील संख्या 1 व 126/आरवेट/बीकानेर/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 31.032011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी को मैसर्स महेन्द्रा एसटेक लिमिटेड बरसिंहसर के द्वारा सिविल संविदा कार्य सबलेट रू. 156,09,510/–का किया गया,जिसमें Ash Handing System Civil Work for Switch Gear/Control Room compressor Room Equipment Foundation, bed Ash Surhe Soffer fly Ash surge Happer Pipe Packs Silo Area Civil Work- Schedule of Items for Civil Work निर्माण का कार्य अलोट किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अवार्डेड संविदा कार्य (सिविल वर्क) हेतु कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रपत्र WT-1 में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,बीकानेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) को आवेदन किया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के उक्त संविदा कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 की सूची के आईटम नं0 3 में निर्धारित मुक्ति शुल्क की दर 2.25 प्रतिशत से Exemption Certificate प्रमाण पत्र संख्या 471/32 दिनांक 02.03.2010 जारी करते अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.03.2010 पारित करते हुए मुक्ति शुल्क निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टी डी एस का समयोजन किया

गया एवं विलम्ब से जमा राशि के लिए ब्याज आरोपित किया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2011 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी का संविदा कार्य अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 की सूची के आईटम संख्या 2 के अन्तर्गत आना मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी के मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी उक्त दोनों आदेशों को अपास्त करते हुए मुक्ति शुल्क 2.25 प्रतिशत की दर के बजाय 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क रू. 23,997/–को यथावत रखते हुए शेष 0.75 प्रतिशत की दर से रू. 17,499/–को अपास्त कर दिया तथा टी डी एस राशि राजकोष में अवार्डर के द्वारा विलम्ब से जमा करवाया जाना मानते हुए, विलम्ब के लिए अवार्डर को जिम्मेदार मानते हुए अवार्डर के विरूद्ध नियमानुसार ब्याज आरोपण की कार्यवाही करने के निर्देशों के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी पर आरोपित ब्याज को ब्याज करते हुए दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी का संविदा कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के आईटम संख्या 3 में आने के कारण व्यवहारी पर 2.25 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत की दर से निर्धारित करने का आदेश दिनांक 3. 3.3.2010 विधिनुसार पारित किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी का संविदा कार्य प्रथम दृष्टया भवन निर्माण से सम्बन्धित मानकर इनको अधिसूचना के आईटम संख्या 2 की प्रविष्ठि में आना मानते हुए इस हेतु मुक्ति शुल्क की देयता 1.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित किये जाने में विधिक भूल की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 2214 से 2217/ 2011/ अजमेर वाणिज्यिक कर अधिकारी, लीजिंग टैक्स, अजमेर बनाम मैसर्स मैकेबर बीके प्रा. लि.ब्यावर के प्रकरण में दिये गये दिनांक 24.07.2012 का वर्णन किया कि उक्त कार्य रोड एवं बिल्डिंग का नहीं है तथा एश हैण्डलिंग सिस्टम उक्त अधिसूयना के आईटम संख्या 3 के अन्तर्गत आता है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपायुक्त (अपील्स) के आदेश को अपास्त करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

नोटिस तामीली के बावजूद प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन के अवलोकन के साथ ही अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 पर मानन किया गया। हस्तगत इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी को अवार्ड मैसर्स महेन्द्रा एसटेक लिमिटेड

बरसिंहसर के द्वारा सिविल संविदा कार्य सबलेट रू. 156,09,510/–का कार्य किया गया है,जिसमें Constt of Ash Handing System Civil Work for Switch Gear/Control Room compressor Room Equipment Foundation, bed Ash Surhe Soffer fly Ash surge Happer Pipe Packs Silo Area Civil Work- Schedule of Items for Civil Work. निर्माण का कार्य अलोट किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अवार्डेड संविदा कार्य (सिविल वर्क) हेतु कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रपत्र WT-1 में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,बीकानेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) को आवेदन किया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के उक्त संविदा कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 की सूची के आईटम नं0 3 में निर्धारित मुक्ति शुल्क की दर 2.25 प्रतिशत से Exemption Certificate प्रमाण पत्र संख्या 471/32 दिनांक 02.03.2010 जारी करते अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.03.2010 पारित करते हुए मुक्ति शुल्क निर्धारित की गई।

प्रकरणों में निर्णय हेतु निहित प्रश्न है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी सबलेट होकर प्राप्त संविदा कार्य अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार किस प्रविष्ठि से आच्छादित है? इस सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा,जो निम्न प्रकार है :–

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee% of the total value of the contract
1.	.[***]	
2.	Work contract relating to building, road, bridges, dams,canal,sewerage,system.	1.50%
3.	Work contract relating to installation of plants and machinery including pspo, water treament plant,lying of pipe line with masterial	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by item Nos.[***], 2 and 3	3.00%

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्क आर्डर के आधार पर मुक्ति प्रमाण पत्र संख्या 471/32 दिनांक 02.03.2010 को जारी करते समय उसके द्वारा संकर्म संविदा के आधार पर किये जाने वाले कार्यो को Work contract relating to installation of plants and machinery including pspo, water treament plant,lying of pipe line with masterial की केटेगरी में मानते हुए अधिसूचना दिनांक 11.08.2008 की प्रविष्ठि संख्या 3 के अन्तर्गत मानते हुए 2.25 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क आरोपित किया है जबकि विद्वान ~~अपीलीय~~ अधिकारी

ने प्रविष्ठि संख्या 2 के आधार पर 1.50 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क को उचित माना है, किन्तु विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में यह अंकित नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत शिड्यूल में अंकित कौन से कार्य प्रविष्ठि संख्या 3 से आच्छादित नहीं होकर प्रविष्ठि संख्या 2 से आच्छादित होतें है। इस सन्दर्भ में राजस्थान टैक्स बोर्ड द्वारा अपील संख्या 2214 से 2217/2011/अजमेर वाणिज्यिक कर अधिकारी,लीजिंग टैक्स, अजमेर बनाम मैसर्स मैकेबर बीके प्रा.लि.ब्यावर के प्रकरण में दिये गये दिनांक 24.07.2012 का सारगर्भित अंश उद्धृत करना समीचीन होगा,जो इस प्रकार है :—

"18. The appellate authority gave a simile to bring point home that the works of fly ash handling system were a building works; and, since a building remained a building irrespective of its having been built on a factory site or in airport premises, it would always be a building and never, a plant and machinery. However, there is a flaw in the illustration given by Appellate Authority, inasmuch as it selectively chose only certain segments of the works contracts under question, namely: works at sr. no. 7 of Silo area building and, at sr. no. 12 of Approach road (7 mtr. Wide x 150 mtr. long), shorn of details of other segments, for declaring it an award of works for construction of building and road. The Appellate Authority laboured under a distorted view that " Fly Ash Handling System" consisted of a building and road only, and was not a plant, despite its having many other related parts that made it a plant, as enumerated in the foregoing account."

"19. Therefore, this bench agrees with the contention of the Revenue that fly ash handling system is a full fledged plant, and the order of appellate authority in considering it as works contracts related to building and road is not in consonance with law."

"he appeal is allowed accordingly. The impugned orders of the Appellate Authority, dated 01-07-2011, are reversed; and, the EC orders, dated 06-10-2010, of the Assessing Officer are confirmed and restored."

प्रकरणों के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.(12)63एफडी/टैक्स/2005—80 दिनांक 11.08.2006 एवं कर बोर्ड के उक्त उद्धृत निर्णय के परिप्रेक्ष्य

में निर्वचन करते हुए और व्यवहारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए उक्त अधिसूचना के प्रकाश में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किये जाने वाले कार्य किस प्रविष्टि संख्या में आते है, का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात पुन; आदेश पारित करें।

फलतः राजस्व की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित की जाती हैं ।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य